फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्रीमती सुनीता कंवर पत्नि श्री दलपत सिंह निवासी न्यु आबादी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़

— प्रत्यर्थी

मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 पत्रावली संख्या 27 / 2026

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 12.05.2026 पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से जरिये पत्र क्रमांकः सूकाअ / 05 / 2026 / 39 दिनांक 27.04.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक सूकाअ / 05 / 2026 / 28 दिनांक 02.04.2026 द्वारा उपलब्ध करा दी गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थीया द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 से 3 की सूचना के संबंध में कार्यालय द्वारा बिन्दु संख्या 2 व 3 सूचना हेतु आवेदन कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक सूकाअ / 05 / 2026 / 17 दिनांक 06.03.26 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3)(I)(II) के तहत विकास अधिकारी देवगढ़ को स्थानान्तरित की गई एवं बिन्दु संख्या 1 की सूचना के संबंध में जरिये पत्रांक सूकाअ / 05 / 2026 / 28 दिनांक 02.04.2026 द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि चाही गई सूचना राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है राजस्व रिकॉर्ड की प्रति प्राप्त करने के लिए प्रतिलिपि नियमों के तहत निर्धारित प्रतिलिपि आवेदन—पत्र में आवेदन कर प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकती है। अतः लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ द्वारा जरिये पत्रांक सूकाअ / 05 / 2026 / 28 दिनांक 02.04.2026 द्वारा प्रार्थीया को सूचित कर दिये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	